

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना आदेश ज्ञापांक-2902 दिनांक-18.06.2018 द्वारा नवनियुक्त आपूर्ति निरीक्षक, जिनका योगदान कॉलम 04 में अंकित तिथि से विभागीय आदेश ज्ञापांक निम्नांकित-4211 दिनांक-29.08.2018 द्वारा स्वीकृत किया गया है, को कॉलम-05 में अंकित प्रखंड/स्थान/जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	आपूर्ति निरीक्षक का नाम/अनुक्रमांक	गृह जिला	सचिवालय मुख्यालय में योगदान स्वीकृति की तिथि	नव पदस्थापित स्थान/प्रखंड/जिला का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री उदय कुमार शानु, आपूर्ति निरीक्षक, 12230227	नालन्दा	दिनांक- 06.08.2018,	सिंहवारा, दरभंगा

2. उपर्युक्त आपूर्ति निरीक्षक नवपदस्थापित स्थान पर अविलंब योगदान करना सुनिश्चित करेंगे ।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

(भरत कुमार दुबे)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र03-स्था0-07/2018 4572 खाद्य, पटना/दिनांक- 19/09/18
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित आपूर्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र03-स्था0-07/2018 4572 खाद्य, पटना/दिनांक- 19/09/18
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव कोषांग/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।